न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:– 2025/7 तारीख रजू:–13.01.2025

जी.सी.एम.एस. नं0:– 2025/7

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. बृजमोहन पुत्र गजानंद गुर्जर
2. बरदीचंद पुत्र गेंदीलाल गुर्जर
3. मुकेश पुत्र सुखा गुर्जर
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र सुखा गुर्जर
5. श्योनारायण पुत्र गेंदीलाल गुर्जर

   निवासीयान कंवरपुरा, ग्राम पंचायत बलरिया, तहसील चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर (राज.)

–प्रार्थीगण

बनाम

1. रामनिवास दत्तक पुत्र श्योनारायण गुर्जर, निवासी कंवरपुरा, ग्राम पंचायत बलरिया, तहसील चौथ का बरवाड़ा। **(नाम हजफ)**
2. सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा।
3. हरकेश पुत्र जगराम गुर्जर, निवासी कंवरपुरा, ग्राम पंचायत बलरिया, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

–अप्रार्थीगण

उपस्थित::–

वकील प्रार्थीगण :–श्री अब्दुल वहाब एडवोकेट

वकील अप्रार्थी संख्या 3:– श्री सुधीर कुमार जैन, एडवोकेट

निर्णय दिनांक:–09.02.2026

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि–

   - प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2358 रकबा 2.57 है0 ग्राम कुम्हारिया, तहसील चौथ का बरवाड़ा में स्थित है।

   - प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर आने जाने हेतु एकमात्र कदीमी रास्ता अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा नं. 2435 [illegible]बा 0.04 है0 किस्म [illegible] रास्ता से हाकर अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि 2434 रकबा 0.39 है0, अप्रार्थी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:34:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

3 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2434 रकबा 0.20 है0 की पूर्वी मेड़ पर होकर आवेदकगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2358 रकबा 2.57 है0 पर जाने हेतु 15 फिट चौड़ा रास्ता उपलब्ध कराया जाकर नक्शाशीट में अंकन फरमाया जाने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थीगण जारी किये जाकर उनको न्यायालय में तलब किया।

3. वकील प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 07/10/2025 को अप्रार्थी संख्या 01 का नाम हजफ किया गया।

4. वकील अप्रार्थी संख्या 03 ने अपना जवाब पेश किया है कि—

❖ प्रार्थी ने खसरा नम्बर 2358 में पहुंचने के लिए रास्ता चाहा है। और अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2435 रकबा 0.04 हैक्ट० गैर मुमकिन रास्ता से होकर खसरा नम्बर 2434 रकबा 0.39 हैक्ट० अप्रार्थी की खोतदारी भूमि खसरा नम्बर 2432 रकबा 0.20 हैक्ट० की पूर्वी मेड मे होकर चाहा है।

❖ प्रार्थी खसरा नम्बर 2439 (गैर मुमकिन रास्ता) 2440 2447. 2446, 2443, 2444 (सिवायचक) में होकर आसानी से अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 2358 पर पहुँच सकते है इन खसरा नम्बर में होकर रास्ता दिये जाने से खसना नम्बर 2341 2348 के खातेदारो को भी रास्ता उपलब्ध हो जाता है।

❖ अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 2434 में जिस जगह होकर रास्ता चाहा है उस स्थान पर अप्रार्थी का कुआ बना हुआ है। यदि यहाँ होकर रास्ता दिया तो कुआ नष्ट हो जावेगा। जिससे अप्रार्थी को लाखो रुपयो का नुकसान हो जावेगा।

❖ न्याय हित मे रास्ता इस तरह उपलब्ध कराया जाना चाहिये जिससे अधिक से अधिक काश्तकार खातेदार को लाभ मिले तथा मुकदमे बाजी कम हो, खसरा नम्बर 2444 सिवायचक है पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में जवाब के मदं नम्बर 2 मे वर्णित जगह पर होकर रास्ता तो दिया जाना बताया है परन्तु साथ में यह भी कहाँ कि खसरा नम्बर 2439 2447, 2446 के खातेदार रास्ता देने हेतू सहमत नहीं है। इस प्रकार के प्रकरण मे सहमति लिया जाना आवश्यक ही है। रास्ता दिये जाने से ज्यादा से ज्यादा खातेदारो को लाभ पहुँचता है और ।इवसनजम दममेजल है तो वहां होकर रास्ता कानूनन दिया जाना न्याय संगत है। अतः खसरा नम्बर 2435 (गैर मुमकिन रास्ता), 2439 (गैर मुमकिन रास्ता) 2440 व 2443 की मेड पर होकर खसरा नम्बर 2444 सिवायचक में होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:34:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

खसरा नम्बर 2358 का रास्ता दिया जावे। जिससे खसरा नम्बर 2348 2341 को भी रास्ता मिल जावेगा ।

❖ अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि जवाब के अनुसार रास्ता उपलब्ध कराने की कृपा करे।

5. तहसीलदार, चौथ का बरवाडा ने अपने पत्रांक भू0अ0/2025/2459 दिनांक 15.10.2025 द्वारा रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश की है कि–

- खसरा नंबर 2358 तक पहुंच का वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में कोई
- खसरा नंबर 2358 तक पहुंच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नहीं है।
- खसरा नंबर 2358 पहुंच का निकटतम दूरी का रास्ता खसरा नंबर 2435 किस्म गै0मु0 रास्ता से खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2434, 2432 की पूर्वी मेर से होकर, जिसकी दूरी 140 मीटर, जो कि निकटतम दूरी भी है, से दिया जाना उचित होगा।
- रास्ते का प्रस्ताव निम्नानुसार है–

क्र. सं.	खसरा नंबर	दूरी	रकबा	डीएलएसी दर अनुसार भुगतान X 2
1	2434	64 वर्गमीटर	256 वर्गमीटर	15360
2	2432	76 वर्गमीटर	304 वर्गमीटर	18240
योग		140 वर्गमीटर	560 वर्गमीटर	33600

6. बहस बकुलाय सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं जवाब में अंकित कथनो का दोहरान किया।

7. मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

8. वकील प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2358 पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, इस कारण प्रार्थीगण अपने पड़ोसी खातेदारों की कृषि भूमि से रास्ता लेने का अधिकार रखते हैं। इसके लिये निर्धारित प्रतिकर राशि दिये जाने में प्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:34:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

9. प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थीगणों को पड़ोसी खातेदारों की कृषि भूमि से रास्ता दिया जाना अत्यावश्यक है।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

–:आदेश:–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि वे प्रार्थीगण की ग्राम कुम्हारिया, तहसील चौथ का बरवाड़ा स्थित खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2358 रकबा 2.57 है0 पर आवागमन हेतु रास्ते के लिये दी जाने वाली भूमि का संबंधित खातेदारी को दुगुना प्रतिकर दिलवाया जाकर निम्नानुसार रास्ता उपलब्ध करवाया जाकर उसका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाया जावे–

क्र.सं.	खसरा नंबर	दूरी	रकबा	डीएलएसी दर अनुसार भुगतान X 2
1	2434	64 वर्गमीटर	256 वर्गमीटर	15360
2	2432	76 वर्गमीटर	304 वर्गमीटर	18240
योग		140 वर्गमीटर	560 वर्गमीटर	33600

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय दिनांक 09.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा(स0 मा0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:34:16 IST
Reason: SelfAttested